

सम्पादकीय

मुफ्त की रेवड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट की विंता जायज

सर्वोच्च अदालत ने मुफ्तखोरी और रेवड़ियों पर चिंता के साथ-साथ नाराजगी भी जताई है। मुफ्त सुविधाओं के चलते लोग काम नहीं करना चाहते। खेतों में मजदूर नहीं मिल पा रहे हैं। लोगों को मुफ्त अनाज मिल पा रहे हैं। लोगों को कई नामों में ऐसे भी जाना चाहते हैं। कई मुफ्त योजनाओं की घोषणाएं कर सुविधाएं दी जा रही हैं। ऐसे में जस्टिस बीआर गवर्नर और जस्टिस एजी मसीह ने एक आगांकित सबाल किया है कि क्या हम परजीवियों का एक वर्ग तो नहीं बना रहे हैं?

देश की सियासत में प्रीबीज यानी मुफ्त की रेवड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता जायज है। तमाम सियासी दल मुफ्तखोरी की होड़ में लगे हुए हैं। ऐसे में जनता को लालच देकर उनका सर्वधन हासिल करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है। मुफ्तखोरी वाली प्रवृत्ति की शुरूआत दक्षिणी राज्यों आंप्रदेश और तमिलनाडु से हुई थी। जहाँ लगातार सरकारें लोकतुल्भावन योजनाओं में लिस नजर आये। हालांकि, एब ऐसी राजनीतिक प्रवृत्ति की होड़ से कोई भी गञ्च अछूता नहीं रह गया है। महाराष्ट्र के 2024 के विधानसभा चुनावों से लेकर 2025 के दिल्ली चुनावों और यहां तक कि 2024 के आम चुनावों तक, सभी राजनीतिक दलों ने अकसर दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता की कोमत पर, असाधारण वाद किया है। नकद अनुदान और मुफ्त बिजली से लेकर घरेलू उपकरण और बोरोजागरी भरते तक, जनता को मुफ्त में गिफ्ट देने की प्रथा एक प्रमुख चुनावी रणनीति बन गई है। महाराष्ट्र के 2024 के चुनावों में, विभिन्न दलों ने मुफ्त राशन योजना, कर्ज माला, सब्सिडी वाले गेंस सिलेंडर और यहां तक कि जनता के खाते में सोधे नकद ट्रांसफर का वाद किया गया, जिससे प्रतिस्पर्धी लोकतुल्भावनवाद की मिसाल कायम हुई। इसके बाद, दिल्ली चुनावों में भी इसी तरह की प्रवृत्ति देखी गई, जिसमें प्रमुख दलों ने मुफ्त सार्वजनिक परिवहन और अवश्यक वस्तुओं पर बढ़ी हुई सब्सिडी सहित विस्तारित कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा की। 2024 के आम चुनावों में भी यह मुफ्त में रेवड़ी बांटने वाली प्रवृत्ति देखने को मिली, जिसमें राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दोनों ही दलों ने बढ़े पैमाने पर जनता से वादे किए, कल्याणकारी उपाय, सामाजिक समानता के लिए जरूरी होते हुए भी, अकसर वास्तविक नीतियां उपायों और चुनाव-चलित तुष्टिकण की रणनीति के बीच की रेखाएं धंधली कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नंदें मोदी ने तीन साल पहले रेवड़ी संस्कृती की कड़ी आतोचना की थी। हालांकि कुछ समय बाद भाजपा ने खुद ही मुफ्तखोरी सुरक्षा कर दी, खास तौर पर उत्तरप्रदेश और दूसरे राज्यों के चुनावों के दौरान, सब्सिडी और सोधे नकद राख की पेशकश की। यह विरोधाधार सक्त बुनियादी मुद्दे को उत्तरापान करता है। जबकि पार्टियां बेतहाशा लोकल भावनवाद के आर्थिक खतरों को स्वीकार तो करती हैं लेकिन चुनावी मजबूरियां उन्हें इसी तरह की रणनीति अपनाने के लिए मजबूर भी करती हैं। पंजाब, आंप्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल जैसे राज्य जो बहुत ज्यादा मुफ्त चीजें देने के लिए जाने जाते हैं, वे बढ़ते राजकीय घाटे से जूँझ रहे हैं। पिछले दशक में राजकीय घाटे के रुझानों के अध्ययन से पता चलता है कि सत्ता में चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, वित्तीय बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। नीति आयोग द्वारा राजकीय स्वास्थ्य सूचकांक पहल के अनुसार, जो राज्य ज्यादा मुफ्त चीजें वितरित करते हैं, उनके राजकीय मापदंड कमज़ोर होते हैं, जो एक अस्पृश्य आर्थिक मॉडल का संकेत देते हैं। गैर-परिसरपति-निर्माण व्यय को निधि देने के लिए अवधिक उधार पर निर्भरत वित्तीय अस्थिरता को बढ़ाती है, जिससे राज्य ऋण के जाल में और भी ज्यादा फंस जाते हैं। सर्वोच्च अदालत ने मुफ्तखोरी और रेवड़ियों पर चिंता के साथ-साथ नाराजगी भी जताई है। मुफ्त सुविधाओं के चलते लोग काम नहीं करना चाहते। खेतों में मजदूर नहीं मिल पा रहे हैं। लोगों को मुफ्त अनाज मिल रहा है। ऐसे में उसका वांटी जा रही है। बिना काम किया गया है।

सज्जन कुमार की सजा का संदेश

इंसानी फितरत बहुत जल्द इतिहास के कड़े सबक भूल जाने की है। आज सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वाले इस तथ्य को विस्मृत कर जाते हैं कि अतीत में ऐसी करतूतें बेहद विनाशकारी साबित हो चुकी हैं। सज्जन कुमार को पिछले बुधवार को मिली एक और सजा ने न केवल उन दिनों की याद ताजा कर दी, बल्कि धृण से बजबजाती हमारी दुनिया के बारे में नए सिरे से सोचने को भी प्रेरित किया है। जसवंत सिंह और उनके बेटे की हत्या के जिस मामले में सज्जन कुमार को



पहुंचाने के लिए पीड़िता को कैसे-कैसे पापद बेलने पड़े। इस दौरान पुलिस ने एक बार तो कलोजर रिपोर्ट ही लगा दी थी। उस दाव के असफल हो जाने के बावजूद लंबे समय तक वह गिरफ्तार नहीं किए गए, लेकिन कानून के हाथ लंबे होते रहे। जिसवंत सिंह और उनके बेटे की हत्या के जिस मामले में सज्जन कुमार को दोषी करार दिया गया है, उसे इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए कैसे-कैसे पापद बेलने पड़े। इस दौरान पुलिस ने एक बार तो कलोजर रिपोर्ट ही लगा दी थी। उस दाव के असफल हो जाने के बावजूद लंबे समय तक वह गिरफ्तार नहीं किए गए, लेकिन कानून के हाथ लंबे होते रहे। जिसवंत सिंह और उनके बेटे की हत्या के जिस मामले में सज्जन कुमार को दोषी करार दिया गया है, उसे इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए कैसे-कैसे पापद बेलने पड़े। इस दौरान पुलिस ने एक बार तो कलोजर रिपोर्ट ही लगा दी थी। उस दाव के असफल हो जाने के बावजूद लंबे समय तक वह गिरफ्तार नहीं किए गए, लेकिन कानून के हाथ लंबे होते रहे। जिसवंत सिंह और उनके बेटे की हत्या के जिस मामले में सज्जन कुमार को दोषी करार दिया गया है, उसे इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए कैसे-कैसे पापद बेलने पड़े। इस दौरान पुलिस ने एक बार तो कलोजर रिपोर्ट ही लगा दी थी। उस दाव के असफल हो जाने के बावजूद लंबे समय तक वह गिरफ्तार नहीं किए गए, लेकिन कानून के हाथ लंबे होते रहे। जिसवंत सिंह और उनके बेटे की हत्या के जिस मामले में सज्जन कुमार को दोषी करार दिया गया है, उसे इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए कैसे-कैसे पापद बेलने पड़े। इस दौरान पुलिस ने एक बार तो कलोजर रिपोर्ट ही लगा दी थी। उस दाव के असफल हो जाने के बावजूद लंबे समय तक वह गिरफ्तार नहीं किए गए, लेकिन कानून के हाथ लंबे होते रहे। जिसवंत सिंह और उनके बेटे की हत्या के जिस मामले में सज्जन कुमार को दोषी करार दिया गया है, उसे इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए कैसे-कैसे पापद बेलने पड़े। इस दौरान पुलिस ने एक बार तो कलोजर रिपोर्ट ही लगा दी थी। उस दाव के असफल हो जाने के बावजूद लंबे समय तक वह गिरफ्तार नहीं किए गए, लेकिन कानून के हाथ लंबे होते रहे। जिसवंत सिंह और उनके बेटे की हत्या के जिस मामले में सज्जन कुमार को दोषी करार दिया गया है, उसे इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए कैसे-कैसे पापद बेलने पड़े। इस दौरान पुलिस ने एक बार तो कलोजर रिपोर्ट ही लगा दी थी। उस दाव के असफल हो जाने के बावजूद लंबे समय तक वह गिरफ्तार नहीं किए गए, लेकिन कानून के हाथ लंबे होते रहे। जिसवंत सिंह और उनके बेटे की हत्या के जिस मामले में सज्जन कुमार को दोषी करार दिया गया है, उसे इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए कैसे-कैसे पापद बेलने पड़े। इस दौरान पुलिस ने एक बार तो कलोजर रिपोर्ट ही लगा दी थी। उस दाव के असफल हो जाने के बावजूद लंबे समय तक वह गिरफ्तार नहीं किए गए, लेकिन कानून के हाथ लंबे होते रहे। जिसवंत सिंह और उनके बेटे की हत्या के जिस मामले में सज्जन कुमार को दोषी करार दिया गया है, उसे इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए कैसे-कैसे पापद बेलने पड़े। इस दौरान पुलिस ने एक बार तो कलोजर रिपोर्ट ही लगा दी थी। उस दाव के असफल हो जाने के बावजूद लंबे समय तक वह गिरफ्तार नहीं किए गए, लेकिन कानून के हाथ लंबे होते रहे। जिसवंत सिंह और उनके बेटे की हत्या के जिस मामले में सज्जन कुमार को दोषी करार दिया गया है, उसे इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए कैसे-कैसे पापद बेलने पड़े। इस दौरान पुलिस ने एक बार तो कलोजर रिपोर्ट ही लगा दी थी। उस दाव के असफल हो जाने के बावजूद लंबे समय तक वह गिरफ्तार नहीं किए गए, लेकिन कानून के हाथ लंबे होते रहे। जिसवंत सिंह और उनके बेटे की हत्या के जिस मामले में सज्जन कुमार को दोषी करार दिया गया है, उसे इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए कैसे-कैसे पापद बेलने पड़े। इस दौरान पुलिस ने एक बार तो कलोजर रिपोर्ट ही लगा दी थी। उस दाव के असफल हो जाने के बावजूद लंबे समय तक वह गिरफ्तार नहीं किए गए, लेकिन कानून के हाथ लंबे होते रहे। जिसवंत सिंह और उनके बेटे की हत्या के जिस मामले में सज्जन कुमार को दोषी करार दिया गया है, उसे इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए कैसे-कैसे पापद बेलने पड़े। इस दौरान पुलिस ने एक बार तो कलोजर रिपोर्ट ही लगा दी थी। उस दाव के असफल हो जाने के बावजूद लंबे समय तक वह गिरफ्तार नहीं किए गए, लेकिन कानून के हाथ लंबे होते रहे। जिसवंत सिंह और उनके बेटे की हत्या के जिस मामले में सज्जन कुमार को दोषी करार दिया गया है, उसे इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए कैसे-कैसे पापद बेलने पड़े। इस दौरान पुलिस ने एक बार तो कलोजर रिपोर्ट ही लगा दी थी। उस दाव के असफल हो जाने के बावजूद लंबे समय तक वह गिरफ्तार नहीं किए गए, लेकिन कानून के हाथ लंबे होते रहे। जिसवंत सिंह और उनके बेटे की हत्या के जिस मामले में सज्जन कुमार को दोषी करार दिया गया है, उसे इस मुकाम तक पहुंचाने के लिए कैसे-कैसे पापद बेलने पड़े। इस दौरान पुलिस ने

कटनी रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा बढ़ाई गई

प्रयागराज जाने वाले यात्रियों की भीड़ पर विशेष निगरानी

सुशील यादव। सिटी चीफ प्रयागराज, महाकुंभ प्रयागराज में लगारा बढ़ रही यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से स्टेशनों में यात्रियों की सुरक्षा की दृष्टि से चौकीयों द्वारा गई है बीती रात हुए एवं रेलवे स्टेशन में हादसे के बाद पूरे भारतवर्ष में अलर्ट किया गया है जिसके महेनजर आज कटनी जंक्शन में जहां चारों दिशाओं के लिए ट्रेनों का आवागमन होता है। यात्रियों की सुरक्षा की व्यवस्था का जायदा लेने पुलिस अधीक्षक अधिजीत रंजन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष डेहराज, सहित कोतवाली थाना प्रभारी आशीष कुमार शर्मा व पुलिस बल मुख्य रेलवे स्टेशन पहुंचा। जहां उन्होंने आपीएफ थाना प्रभारी दीक्षित से यात्रियों के लिए सुरक्षा व्यवस्था के किए गए इंतजामों के बारे में जानकारी ली इसके साथ ही यह मुख्य रेलवे स्टेशन से प्रयागराज के लिए किनारी ट्रेन आवागमन हो रही है इसकी भी जानकारी उनके द्वारा ली गई थी। यात्रियों को नियंत्रित करने के लिए पुलिस अधीक्षक द्वारा कहा गया है। कटनी जिले के एसपी अधिजीत रंजन ने बताया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई। इनमें 14 महिलाएं और 3 बच्चे हैं। 25 से ज्यादा लोग घायल हैं। जिसको देखते हुए कटनी जिले के कटनी जंक्शन पर भी जीआरपीएफ, आरपीएफ समेत सीरी पुलिस के 60 से 70 जवान रेलवे स्टेशन पर तैनात हैं। और प्रयागराज के लिए जा रही है सभी ट्रेनों के डिब्बे भरे हुए हैं फिर भी लोगों में महाकुंभ का उत्साह है जो साफ दिख रहा है, वही कुछ लोगों परेशान भी हो रहे हैं पर अब कुंभ



में जाने की तान ली है तो बस जा रहे हैं। कटनी जिले के एसपी अधिजीत रंजन ने बताया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई। इनमें 14 महिलाएं और 3 बच्चे हैं। 25 से ज्यादा लोग घायल हैं। जिसको देखते हुए कटनी जिले के कटनी जंक्शन पर भी जीआरपीएफ, आरपीएफ समेत सीरी पुलिस के 60 से 70 जवान रेलवे स्टेशन पर तैनात हैं। और प्रयागराज के लिए जा रही है सभी ट्रेनों के डिब्बे भरे हुए हैं फिर भी लोगों में महाकुंभ का उत्साह है जो साफ दिख रहा है, वही कुछ लोगों को रेलवे स्टेशन पर बनाए बाएं

पंडाल और खुले में यात्रियों को बंटवाया जा रहा है और लेटेफोर्म में आने वाली स्पेशल ट्रेनों में बैठा प्रयागराज रवाना किया जा रहा है। कटनी एसपी अधिजीत रंजन ने यह भी बताया कि उनके द्वारा रेलवे के अधिकारी और आरपीएफ और जीआरपीएफ के पुलिस अधिकारियों से चर्चा की गई वही उन्होंने यह भी कहा कि उनके द्वारा करने वाले बैठायी यात्रियों को सुरक्षित स्थान में बैठाया जाए और प्रयागराज की ओर जाने वाली ट्रेनों के बारे में यात्रियों को समय समय पर सूचना दी जाए। जिससे भगदड़ पर जायदा भीड़ होने पर यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर बनाए बाएं

चौकी सरई थाना करनपठर के द्वारा 912 डग्गी क्रमांक MP 18 GA 4518 के द्वारा अवैध रेत परिवहन करते पकड़े गये



सुशिल सोनी। सिटी चीफ अनूपपुर, श्रीमान पुलिस अधीक्षक अनूपपुर एवं श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिला अनूपपुर एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) अनुभाग पुष्पराजगढ़ के मार्गदर्शन में रेत परिवहन कर्ता के विरुद्ध निरी। यो सो कोल थाना प्रभारी थाना करनपठर के नेतृत्व में चौकी प्रभारी उप निरी। मंगला प्रसाद दुबे के दौरान कस्बा भ्रमण हमराह स्टाफ प्र.आर. 140 राजेश पाव प्रआर. 74 राम प्रसाद सिंह, आर. 362 विनोद, आरक्षक क्र. 346 साहब सौर, चौकी सरई, आर. 287 विनोद कुमार थाना करनपठर, दौरान कक्ष्या देहात भ्रमण दिनांक 16.02.2025 को हमराह स्टाफ के साथ देहात ग्राम परायारी भ्रमण के दौरान जिये रोटील परिवहन करते हुए ग्राम परायार को लागकर एक डग्गी गो रोक कर ड्राइवर सीट पर बैठे व्यक्ति का नाम पता पूछने पर अना नाम अशोक कुमार बंशकार पिता जमुना प्रसाद बंशकार उम्र 29 वर्ष निवासी ग्राम बमुरा तथा बगल में बैठे व्यक्ति से नाम पता पूछने पर अपना नाम हरि लाल कोल पिता पुसदआ कोल उम्र 30 वर्ष निवासी बमुरी का होना बताये तथा पथर्खई के पास बमुरा के नाले से चौरी का रेत डग्गी में लोड करके तर्गे बैठने हेतु लेकर जाना बताया आरोपी चालक को धारा 94 बी.एन.एन.एस. का नोटिस दिया जाकर रेत लोड करने परिवहन का अहम भूमिका रही।

अवैध रेत उत्खनन माफिया के विरुद्ध बिजुरी पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही

सुशील सोनी। सिटी चीफ अनूपपुर, पुलिस अधीक्षक अनूपपुर श्री मोरी उर हमराह जी के निवेशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनूपपुर श्री मो. इसरार मन्सूर एवं एस. डी.ओ.पी. कोतमा श्रीमती आरपी शाक्य के मार्गदर्शन में थाना बिजुरी अनूपपुर द्वारा अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है।

दिनांक 16.02.2025 को थाना प्रभारी निरी विकास सिंह के नेतृत्व में सहायक उपनिरी प्रदीप अग्निहोत्री, आर. 502 विश्वजीत मिश्र, आर. 304 रवि सिंह के द्वारा ग्राम छत्तर में महानंदी कंपनी के लाल रंग के ट्रैक्टर क्र. एप्ट16एक्ट2688 के चालक राजकुमार साहु पिता विष्णु प्रसाद साहु उम्र 31 वर्ष निवासी सेमरिया थाना केल्हारी छ.ग. के द्वारा ग्राम पिपरिया के बैर नदी घाट से अवैध रेत उत्खनन कर परिवहन किया जा रहा था जो मौके चालक राजकुमार साहु को ट्रैक्टर मय लोड रेत ट्रैली जस कर थाना बिजुरी जिला अनूपपुर में ट्रैक्टर चालक राजकुमार साहु एवं वाहन स्वामी



विष्णु प्रसाद साहु के विरुद्ध अपराध धारा 303(2), 317 (5), 3(5) बी.एन.एस.4/21 खाना

जिला मुख्यालय के दो परीक्षा केन्द्रों में संपन्न हुई राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा

759 परीक्षार्थियों के विरुद्ध प्रथम पाली में 143 तथा द्वितीय पाली में 153 रहे अनुपस्थित

अनूपपुर, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की वर्ष- 2025 की प्रारंभिक परीक्षा रविवार 16 फरवरी को जिले के दो परीक्षा केन्द्रों में तथा दो पालियों में प्राप्त: 10 से दोपहर 12:00 तक एवं दोपहर 2:15 बजे से शाम 4:15 बजे तक आयोजित की गई इस संबंध में परीक्षा प्रभारी एवं अपर कलेक्टर श्री दिलीप कुमार पाण्डेय ने बताया है कि कलेक्टर श्री हर्षल पंचोली के मार्गदर्शन में परीक्षाको के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे व्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यह मामला तभी से अदालत में विचारधान था। सभी साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अदालत ने नियंत्रित किया है। जिले के अहमदगढ़ निवासी मंगल सिंह को प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर कार्यवाही की जा रही है।

सुशील जिले की गई थी। अनूपपुर जिले में प्रारंभिक परीक्षा के लिए आवश्यक प्रबंध के साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक पुलिस बल भी तैनात किया गया था। परीक्षा प्रभारी एवं अपर कलेक्टर श्री दिलीप कुमार पाण्डेय ने बताया है कि कलेक्टर श्री हर्षल पंचोली के मार्गदर्शन में परीक्षार्थियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे व्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। शिक्षकों ने उसके ऊंचवाल भविष्य की कामना करते हुए यूपी ओलंपिक में चयन होने पर बधाई दी। इस दौरान स्कूल का समस्त स्टाफ मौजूद रहा।

व्यवस्था की गई थी तथा प्रारंभिक परीक्षा को शांतिपूर्ण संपन्न करने के लिए आवश्यक प्रबंध के साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक पुलिस बल भी तैनात किया गया था। परीक्षा प्रभारी एवं अपर कलेक्टर श्री दिलीप कुमार पाण्डेय ने बताया है कि प्रथम पाली में शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में दर्ज 400 परीक्षार्थियों के विरुद्ध 328 परीक्षार्थी उपस्थित थे 72 अनुपस्थित रहे इसी तरह शासकीय अनुपस्थित रहे।

मेपल्स एकेडमी देवबंद के छात्र चाहत सिंह ने 38 वें नेशनल गेम्स के तहत 1500 मीटर रेस में प्रथम स्थान प्राप्त कर यूपी ओलंपिक में बनाई जाकर विवेचना में बनाई जाएगी।



अदालत में नशा तस्कर को सुनाई एक साल की सजा

गौरव सिंघल। सिटी चीफ सहरनगर, अदालत में एक साल की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-तीन की अदालत ने नशा तस्कर को दोषी मानते हुए एक साल की सजा सुनाई है और दस हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। मामले के अनुसार, 20 नवंबर 2016 को थाना सरसावा



पुलिस ने चेकिंग के दौरान शामली फैसला सुनाया है। जिले के अहमदगढ़ निवासी मंगल सिंह को गिरफ्तार किया जाया गया था। आरोपी के पास से डोला पाउडर बरामद हुआ था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे व्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यह मामला तभी से अदालत में विचारधान था। सभी साक्ष्य और गवाहों के आधार पर अदालत ने नियंत्रित किया है। जिले के अहमदगढ़ निवासी मंगल सिंह को प्रकरण पंचायत जिले से जुड़े संचालक सहयोगी भूमिका निभाई। अधिकारीकी सहित शिक्षक कर्मचारी सुबह से जुटे रहे। जिले समन्वयक साक्षरता समिति जैन। गायत्री विद्यालय रमभापुर के संचाल

सांसद गजेंद्र सिंह पटेल के जन्मदिवस पर

विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित

सिक्कल सेल एनीमिया उन्मूलन एवं टीबी मुक्त भारत अभियान और

विभिन्न प्रकार की जांचों में सैकड़ों लोगों ने लिया लाभ



